



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128014

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19527/2026

आदर्श यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : नीलेश कुमार दुबे, शशि शेखर मौर्य, शिवम दुबे

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

1. आवेदक की ओर से पूरक शपथपत्र और पीड़ित/सूचनादाता की ओर से संक्षिप्त प्रति- शपथपत्र अभिलेखित कर लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस. मौर्य, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मानसी उपाध्याय और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान एजीए की बात सुनी गई।
3. यह जमानत याचिका थाना मछलीशहर, जिला जौनपुर में मामला अपराध संख्या 98/2026, बीएनएस की धारा 64(1), 69, 352, 351(3) और पॉस्को अधिनियम की धारा 51/6 के तहत, में आवेदक की जमानत पर रिहाई की माँग करते हुए दायर की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अस्थि परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की आयु लगभग 18 वर्ष थी। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक पर झूठा आरोप लगाया गया है कि उसने विवाह के झूठे वादे पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। वास्तव में, पीड़िता बालिग थी और एक वर्ष से अधिक समय से आवेदक के साथ उसकी सहमति थी। आवेदक और पीड़िता के बीच आपसी सहमति से बने संबंध के मामले को आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया था। अब दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया है और पीड़िता के पिता द्वारा दायर संक्षिप्त प्रति- शपथपत्र में यह स्वीकार किया गया है कि एफआईआर कुछ गलतफहमी के कारण दर्ज की गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

थी और आवेदक और पीड़िता के बीच मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। शिकायतकर्ता आवेदक के खिलाफ आगे की कार्यवाही नहीं करना चाहता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान वकील ने आगे बताया कि आवेदक 9 मई 2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध कर दिया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपरोक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक **आदर्श यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को निचली अदालत के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द.प्र.सं./351 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो निचली अदालत ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून, 2026

एपी पांडे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।